App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सिरोही

हितेश बनाम दौला

किस्म मुकदमा दण्ड प्रा० अ० 183, 188, 88 R.T.Act मुकदमा सं. 75/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	25.2.2019 पत्रावली पेश हुई। श्री हंसराज पुरोहित वकील ने वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विद्वान इस वाद को जरिये विड्रोवल खारिज करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति वकील प्रतिवादीगण को उपलब्ध कराई गई। वकील प्रतिवादीगण ने भी उक्त विद्वान वादी गण द्वारा विड्रोवल वाद को जरिये विड्रोवल खारिज करने से जरिये विड्रोवल खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। अतः विद्वान वाद दण्ड प्रा० अ० 183, 187, 188 R.T.Act का विरुद्ध प्रतिवादीगण वादीगण द्वारा विड्रोवल करने से चलने योग्य नहीं होने से जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार की जावे।	

उपखण्ड अधिकारी सिरोही